APP-A
Crim-I

FROM No. -III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा केम्प कोर्ट हुरडा

श्रीमति शरफराज पत्नि फिरोज खॉ बनाम महेन्द्र कुमार पिता रामदयाल बाहेती
निवासी– गुलाबपुरा निवासी– गुलाबपुरा

किस्म मुकदमा–वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 53, रा.टी. ए. प्रकरण संख्या–1636/2017

[redacted] हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.06.2018	पत्रावली आज लोक अदालत केम्प कोर्ट हुरडा मे पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रतिवादीगण अनुपस्थित । न्यायालय हाजा के प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.07.2017 की पालना हेतु तहसीलदार हुरड़ा को लिखा जाने पर तहसीलदार हुरड़ा के द्वारा विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्र क्रमांक राजस्व/2018/948 दिनांक 28.04.2018 से प्रस्तुत किया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है ।	

1– महेन्द्र कुमार पिता रामदयाल बाहेती साकिन देह के हिस्से में :–

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
गुलाबपुरा द्वितीय	550/1	00 बीघा 10 बिस्वा	
	610	06 बीघा 11 बिस्वा	6.34
कुल किता 2		07 बीघा 01 बिस्वा	6.34

2 – शरफराज पत्नि फिरोज खॉ कायमखानी , निवासी सिन्धी कॉलोनी गुलाबपुरा , रहन एस.बी.बी.जे. शाखा हुरडा ।

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
गुलाबपुरा द्वितीय	610/1	05 बीघा 11 बिस्वा	4.99
कुल किता 1		05 बीघा 11 बिस्वा	4.99

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

3— लीला पत्नि अशोक कुमार जैन निवासी टांक वाली गली बिजयनगर, मन्जू पत्नि विनोद नाहर जाति जैन निवासी न्यू लाईट कॉलोनी बिजयनगर के हिस्से में :—

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
गुलाबपुरा द्वितीय	550	05 बीघा 01 बिस्वा	4.54
	कुल किता 1	05 बीघा 01 बिस्वा	4.54

4— सलमा पत्नि सलीम मुसलमान साकिन सजनाबाद , रहन एस. बी. पी. शाखा गुलाबपुरा के हिस्से में :—

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
गुलाबपुरा द्वितीय	610/3	07 बीघा 02 बिस्वा	6.40
	कुल किता 1	07 बीघा 02 बिस्वा	6.40

5— सलीम, अल्ताफ खान, पिता फकीर मोहम्मद खान जाति मुसलमान , मोहम्मद जावेद खान पिता फकीर मोहम्मद खान मुसलमान निवासी जालिया द्वितीय तहसील मसूदा के हिस्से में :—

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
गुलाबपुरा द्वितीय	610/2	03 बीघा 10 बिस्वा	3.15
	कुल किता 1	03 बीघा 10 बिस्वा	3.15

उक्त प्राप्तशुदा विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी को सुना गया वक्त बहस वकील वादी ने कथन किया कि तहसीलदार हुरड़ा के द्वारा जो प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया है वह मुताबिक निर्णय अनुसार तैयार किया गया है । जो स्वीकार फरमाया जावें ।

मैने भी प्राप्त विभाज़न प्रस्ताव का अवलोकन किया। तदनुसार तहसीलदार हुरड़ा से उक्त प्राप्तशुदा विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। तथा इसी अनुरूप प्रकरण मे अंतिम डिक्री पर्चा तैयार किये जाने के आदेश दिये जाते है । पत्रावली सुमार फेसल होकर दाखिल दफतर करें । आदेश आज दिनांक 18.06.2018 को खुली लोक अदालत केम्प कोर्ट हुरडा मे सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

कार्यालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner